REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2019

हरियाणा में भूमि उपयोग – एक भौगोलिक विश्लेषण

Mrs. Anjana
Assistant Professor, GCW, Sec. 18, Rewari(Haryana) .

परिचय :

हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तरी–पश्चिमी भाग में $27^{0}39^{1}$ उतरी अक्षांश से $30^{0}55^{1}$ उत्तरी अक्षांश तथा $74^{0}28^{1}$ पूर्वी देशान्तर से $77^{0}36^{1}$ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। हरियाणा राज्य के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई बहती है। हरियाणा के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है। दक्षिण–पूर्व में केन्द्रशासित राज्य दिल्ली है जिसके तीन और हरियाणा पड़ता है। हरियाणा भारत का भू–आण्वेश्ति राज्य है। जिसका क्षेत्रफल 44212 वर्ग किमी0 है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य भारत का वह महत्वपूर्ण राज्य है जो न तो सागर तट को स्पर्श करता है और न ही किसी अन्तराष्ट्रीय सीमा को। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह के प्रयासो से पंजाब के पूर्नगठन के बाद 1 नवम्बर 1966 को हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 25351462 है जो देश की कुल जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत है। राज्य के पूर्नगठन के समय 7 जिले थे जिसमें अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, महेन्द्रगढ़, हिसार व जींद सम्मिलित थे। इसके पश्चात् समय–समय पर 12 नवीन जिलों का गठन किया गया जिसके फलस्वरुप जिलों की सीमाऐं बदलती रही व पूर्नगठित होती रही। 1 नवम्बर 1989 को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य को चार जिले रेवाडी, कैथल, पानीपत व यमुनानगर उपहार स्वरुप मिले। 15 अगस्त 1995 को अम्बाला से पंचकुला व 15 अगस्त 1997 को हिसार से फतेहाबाद तथा रोहतक से झज्जर जिलों को पूर्नगठन किया गया इसी प्रकार 2 अक्टुबर 2004 को मेवात जिला बना, 15 अगस्त 2008 को पलवल व 18 सितम्बर 2016 को चरखी दादरी अस्तीतत्व में आया वर्तमान में हरियाणा में 22 (बाईस) जिले हैं। चण्डीगढ पंजाब व हरियाणा की सांझी राजधानी होने के साथ–साथ केन्द्रशासित प्रदेश भी है।

हरियाणा प्रदेश में भूमि उपयोग :–

हरियाणा प्रदेश के कृषि विकास स्तर में सहायक भूमि उपयोग का वर्णन निम्न प्रकार से है – हरियाणा में भूमि उपयोग कई भोगौलिक तत्वों पर निर्भर करता है। भौगोलिक तत्वों में धरातल, जलवायु, मृदा का प्रभाव सबसे अधिक रहता है।

तालिका – 1
हरियाणा में भूमि उपयोग (2012–13)

हरियाणा कुल क्षेत्र (4371)	कुल वन प्रतिशत (0.91)		कुल कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि (14.71%)		कुल अन्य कृषि रहित भूमि जिसमें परती भूमि शामिल नहीं (1.25%)			कुल परती भूमि (2.77%)		कुल कृषित भूमि पर बोया गया निबल क्षेत्र प्रतिशत (80.37)	कुल प्रतिशत (100)
			गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गयी भूमि प्रतिशत (12.4)	बंजर भूमि प्रतिशत (2.31)	स्थाई चारागाहों तथा अन्य चराई भूमि प्रतिशत(0.57)	फुटकर वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो बोये गये निबल क्षेत्र में शामिल नहीं प्रतिशत (0.09)	कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि प्रतिशत (0.59)	पुरानी भूमि प्रतिशत (0.41)	वर्तमान भूमि प्रतिशत (2.36)		
थ्जले	कुल क्षेत्र	प्रतिशत	(12.4%)	(2.31%)	(0.57%)	(0.09%)	(0.59%)	(0.41%)	(2.36%)	(80.37%)	(100%)
अम्बाला	154	0.65	25.97	1.95	1.29	–	–	–	–	70.3	–
प्ंचकुला	57	1.75	26.31	1.75	–	–	12.28	8.77	8.77	40.35	–
यमुनानगर	172	8.14	17.44	1.16	2.16	–	–	–	–	72.09	–
कुरुक्षेत्र	168	0.6	9.52	0.59	–	–	–	–	–	89.88	–
कैथल	228	1.31	11.40	0.44	–	–	–	–	–	86.84	–
क्रनाल	246	0.40	6.09	0.40	3.68	0.81	0.40	–	3.68	76.76	–
पनीपत	130	2.30	13.84	0.77	3.85	–	0.77	–	5.38	71.36	–
श्रोहतक	167	–	10.77	2.99	–	–	2.39	–	2.91	80.83	–
झज्जर	191	–	7.32	4.19	–	–	4.71	6.28	4.71	73.82	–
फरीदाबाद	72	–	52.77	2.77	–	–	–	–	1.39	43.05	–
पलवल	136	2.20	8.82	3.67	0.73	–	–	–	6.61	77.20	–
गुरुग्राम	120	2.5	28.33	–	0.83	–	–	–	–	67.5	–
म्वात	148	–	16.89	6.75	0.68	–	–	–	4.73	70.95	–
रेवाड़ी	151	1.32	9.27	2.65	0.66	–	1.99	–	0.66	82.78	–
महेन्द्रगढ़	194	1.03	14.43	4.64	–	–	–	–	1.03	78.35	–
भिवानी	466	0.64	5.79	4.29	–	–	–	–	3.4	85.84	–
जींद	278	0.36	12.23	–	–	–	–	–	1.43	85.97	–
थ्हसार	404	0.25	10.64	1.48	–	0.36	–	–	5.45	82.43	–
फतेहाबाद	249	–	9.63	0.80	–	–	–	0.40	–	89.16	–
थ्सरसा	427	0.24	5.38	–	–	–	–	–	1.40	92.97	–
सेनीपत	213	–	22.53	3.29	1.40	0.47	0.46	–	–	73.07	–
चरखी दादरी	आंकड़े उपलब्ध नहीं।										

स्त्रोत :– स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट ऑफ हरियाणा (2012–2013)

भूमि उपयोग का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

1. वन :–

वन प्रदेश वह प्रदेश होता है जहाँ कानूनी तौर पर वनों का विस्तार घोषित किया जाये। वातावरण को सुरक्षित रखने उर्जा के स्त्रोत को बढ़ाने तथा ईधन व चारे की पूर्ती हेतु विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा अर्थव्यवस्था में वनों का बहुत अधिक महत्व है। हरियाणा में कुल 0.91 प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाये जाते है। पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा घोषित वन निति के अनुसार किसी भी प्रदेश में उसके कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत होना चाहिए।

हरियाणा में वन क्षेत्र का प्रतिशत निम्न श्रेणी तालिका से स्पष्ट है।

श्रेणी तालिका – 2
हरियाणा में वन क्षेत्र

श्रेणी	वन क्षेत्र (प्रतिशत में)	जिला
सबसे कम	1 प्रतिशत से कम	अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा
मध्यम	1 से 2	पंचकुला, कैथल, महेन्द्रगढ, रेवाड़ी
अधिक	2 से 3	पानीपत, पलवल, गुरुग्राम
अत्याधिक	3 से अधिक	यमुनानगर

स्त्रोत :– स्ट्रेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आँकड़ों के आधार पर स्वयं द्वारा परिकलित।
नोट :– हरियाणा के छः जिलों में वन क्षेत्र नहीं पाया जाता।

उपरोक्त श्रेणी तालिका को देखने से पता चलता है कि हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, जींद, हिसार व सिरसा जिलों में 1 प्रतिशत से भी कम वन पाऐ जाते है इस प्रकार कम प्रतिशत पाऐ जाने का मुख्य कारण नगरीय विस्तार है। नगरीय विस्तार के कारण भूमि पर खड़े वृक्षों को काट दिया गया अधिकांश भूमि पर जहाँ वृक्ष खड़े थे उनको काटकर उस भूमि का उपयोग फसलों के लिए किया जाने लगा। बहुत से जिलों में उद्योग लगने के कारण वन क्षेत्रों का विनाश हुआ है। बहुत से क्षेत्रों में वनों को काटकर फर्नीचर उद्योग में लकड़ी का उपयोग किया है। अधिक जनसंख्या के कारण नगरीय क्षेत्रों का विस्तार किया गया है जिससे भी वनों को समाप्त किया गया है।

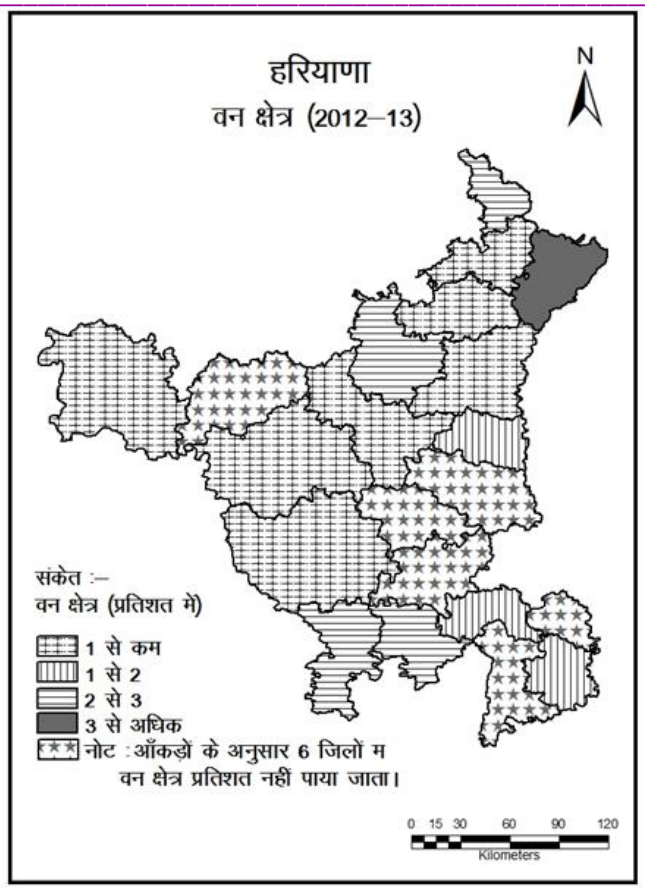

उपरोक्त तालिका में मध्यम श्रेणी के वन क्षेत्र 1 से 2 प्रतिशत में पाऐ जाते हैं। जिसमें पंचकुला, कैथल, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ आदि जिले इसमें शामिल हैं। इन उपरोक्त जिलों में वनों की कमी का प्रमुख कारण ये क्षेत्र शुष्क एवं पहाड़ी है जहाँ वनों का अधिक विकास नहीं हैं। जलवायु दशाओं के कारण अत्यधिक तापमान व न्यूनतम वर्षा के कारण वनस्पति नहीं पनपती महेन्द्रगढ़ जैसे प्रदेश में तो बालु टिल्लों की प्रधानता बहुतायत में देखने को मिलती है अतः वन मध्यम श्रेणी के पाऐ जाते है। वनों की अधिकता की बात करे तो पानीपत, पलवल व गुरुग्राम जिलों में वन क्षेत्र 2 से 3 प्रतिशत पाया जाता है इन जिलों में पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया गया है गुरुग्राम जैसे जिले जो दिल्ली के काफी नजदीक है ऐसे में सरकार के प्रयास से सड़कों एवं शहर के चारों और पौधारोपण कर बड़े पेड़ विकसीत किये गऐ हैं। हरे पेड़ों के काटने पर सरकार द्वारा जुर्माना व सजा का प्रावधान रखा गया है। पहाड़ी इलाका होने से पेड़ सुरक्षित है पानीपत में 2.30 प्रतिशत, पलवल में 2.20 प्रतिशत तथा गुरुग्राम में 2.5 प्रतिशत वन क्षेत्र आरक्षित है। हरियाणा में उपरोक्त श्रेणी तालिका के अनुसार सबसे अधिक वनों का प्रतिशत यमुनानगर जिले में पाया जाता है जहाँ वनों का प्रतिशत 3 से अधिक है। जनसंख्या व नगरीय प्रभाव कम होने व सरकार द्वारा वनों के संरक्षण की अनेक योजनाएं क्रियान्वित करने के कारण वनों का ह्रास कम है। यमुनानगर जिलें में वन 8.14 प्रतिशत पर फैले है।

2. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि :–

कृषि के लिए अनुपलब्ध वह भूमि में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो जैसे सड़क, तालाब, नहर, कारखाने, दुकाने, आबादी में प्रयुक्त की गई भूमि शामिल है जिसमें कुल 12.4 प्रतिशत भूमि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई है वहीं 2.3 प्रतिशत भूमि बंजर तथा कृषि रहित है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि को दो भागों में बाँटा गया गया है।

(क). गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि :–

इस वर्ग के अन्तर्गत वह भूमि आती है जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए उपयोग में ली जाती है। इस वर्ग में भूमि के अतिरिक्त नहरों, सड़कों, कारखानों, रेलमार्गों, नगरों तथा अन्य बस्तियों के विकास के लिए किया जाता है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि का 542 हजार हैक्टीयर क्षेत्र है जो कुल भूमि का 12.4 प्रतिशत है।

गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि निम्न श्रेणी तालिका से स्पष्ट है।

श्रेणी तालिका – 3
हरियाणा में गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि (2012–2013)

श्रेणी	वन क्षेत्र प्रतिशत में	जिला
सबसे कम	10 से कम	कुरुक्षेत्र, करनाल, झज्जर, पलवल, रेवाडी, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा
मध्यम	10 से 15	कैथल, पानीपत, रोहतक, महेन्द्रगढ़, जींद, हिसार
अधिक	15 से 20	यमुनानगर, मेवात
सबसे अधिक	20 से अधिक	अम्बाला, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत

स्त्रोत :– स्ट्रेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आधार पर स्वयं द्वारा परिकल्पित

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि का सबसे कम प्रतिशत कुरुक्षेत्र, करनाल, झज्जर, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी, फतेहाबाद व सिरसा जिलों के अन्तर्गत आता है जो 10 प्रतिशत से भी कम है। यहाँ क्रमशः 9.52, 6.09, 7.32, 8.82, 9.27, 5.79, 9.63, 5.38 प्रतिशत भूमि गैर कृषि कार्यो में लगी हुई है, इन जिलों में कृषि के अतिरिक्त अन्य गैर कृषि कार्यो में लगी भूमि की कमी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण ये जिले आर्थिक दृष्टि से अभी पिछड़े हैं, यहाँ औद्योगिक विकास अधिक न होने के कारण नगरीय क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं फैल पाया है जबकि हरियाणा के कैथल, पानीपत, रोहतक, महेन्द्रगढ़, जींद, हिसार आदि जिलों को मध्यम श्रेणी में शामिल किया है। इन जिलों में क्रमशः 11.40, 13.89, 10.77, 14.43, 12.23, 10.64 प्रतिशत भूमि गैर कृषि कार्यो में लगी हुई है। मेवात एवं यमुनानगर जिलों में 15 से 20 प्रतिशत भूमि गैर कृषि कार्यो में लगी है। अम्बाला, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि जिलों में सबसे अधिक (20 प्रतिशत से अधिक) भूमि गैर कृषि प्रयोजन में लगी हुई है इन जिलों में क्रमशः 25.97, 26.3, 28.33, 52.77, 22.53 प्रतिशत भूमि गैर कृषि कार्यों में लगी है। इतना अधिक प्रतिशत गैर कृषि प्रयोजन में लगे होने का मुख्य कारण ये जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काफी नजदीक है, यहाँ बड़े औद्योगिक नगर है अधिकांश भूमि पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, नगरीय विस्तार व बहुमंजिला इमारते स्थापित है। हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रुप से एक साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना की है जिसके एक गाँव मानेसर में आई.एम.टी. उद्योगिक मॉडल शहर का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त जिलों में भी फरीदाबाद में सबसे अधिक भूमि गैर कृषि कार्यो में लगी है इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय राजधानी के उपनगरों में सबसे पुराना व अधिक विकसीत उद्योगिक शहर का होना जिसकी औद्योगिक पेटी 40 किलोमीटर लम्बी हैं जो दिल्ली की सीमा से बल्लभगढ़ तक फैली हैं। यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता के कारण नगरीय फैलाव भी अधिक है। यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। प्रारम्भ में जमीन के मूल्य सस्ते होने के कारण लोग यहाँ आकर बस गऐ और इस भूमि का अधिकांश भाग गैर कृषि कार्यो में प्रयुक्त होने लगा यहीं एक मात्र जिला है जहाँ हरियाणा की 52.77 प्रतिशत भूमि गैर कृषि कार्यो में लगी है।

(ख). बंजर तथा कृषि रहित भूमि :–

यह वह भूमि है जो बंजर तथा कृषि के लिए अयोग्य है तकनिकी विकास के साथ–साथ इस भूमि में कमी आ रही है बहुत सी बंजर भूमि को सिंचाई, खाद व बीजों के प्रयोग से कृषि योग्य बनाया जा रहा है हरियाणा में कुल भूमि का तीन हजार हेक्टीयर भाग बंजर तथा कृषि रहित है जो कुल भूमि का 2.37 प्रतिशत है। बंजर तथा कृषि रहित भूमि निम्न श्रेणी तालिका से स्पष्ट है –

श्रेणी तालिका – 4
बंजर एवं कृषि रहित भूमि

श्रेणी	वन क्षेत्र प्रतिशत में	सम्मिलित जिले
सबसे कम	1 से कम	कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, फतेहबाद
मध्यम	1 से 2	अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार
अधिक	2 से 3	रोहतक, फरीदाबाद, रेवाड़ी
सबसे अधिक	3 से अधिक	झज्जर, पलवल, मेवात, महेन्द्रगढ़, भिवानी, सोनीपत

स्त्रोत :– स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आधार पर स्वयं द्वारा परिकल्पित।
नोट :– हरियाणा के तीन जिलों में बंजर भूमि नहीं पायी जाती।

हरियाणा में सबसे कम बंजर तथा कृषि रहित भूमि का प्रतिशत कुरुक्षेत्र (0.59), कैथल (0.44), करनाल (0.40), पानीपत (0.77), फतेहाबाद (0.80) आदि जिलों में पाया जाता है जो इस क्षेत्र की कुल भूमि का 1 प्रतिशत से भी कम है वहीं अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर तथा हिसार में मध्यम श्रेणी में बंजर तथा कृषि रहित भूमि पाई जाती हैं। इन जिलों में क्रमशः 1.95, 1.75, 1.16, 1.48 प्रतिशत बंजर तथा कृषि रहित भूमि का विस्तार हैं। रोहतक, फरीदाबाद व रेवाड़ी में 2 से 3 प्रतिशत बंजर तथा कृषि रहित भूमि का विस्तार है वहीं झज्जर, पलवल, मेवात, महेन्द्रगढ़, भिवानी व सोनीपत में क्रमशः 4.19, 3.67, 6.75, 4.64,

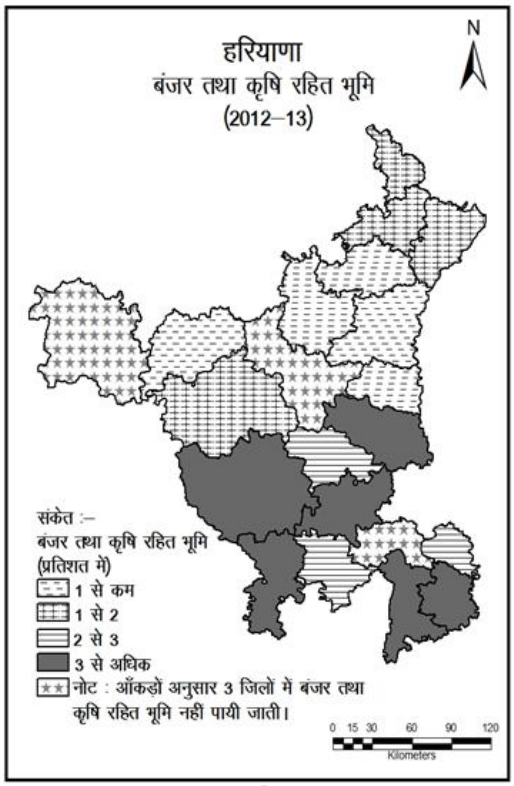

4.29 प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि रहित है जो सबसे अधिक है। इतनी अत्यधिक मात्रा में बंजर तथा कृषि रहित भूमि का पाया जाना वहाँ के जिलो की क्षारीयता एवं लवणीय समस्याओं को दर्शाता है क्योंकि झज्जर, भिवानी जैसे जिलों में खेतों में अधिक सिंचाई करने के कारण जलाक्रान्ति की स्थिति आ गई है। अपर्याप्त निक्षालन तथा कम वर्षा के कारण मिट्टी में लवणों और क्षारों के जमाव की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। धरातल पर जल वाष्प बनकर उड़ जाता है परन्तु मिट्टी के ऊपर सफेद रवे से बन जाते हैं अतः मिट्टी पर लवणों तथा क्षारों की यह परत मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती है और मिट्टी की उर्वरता का ह्रास हो जाता

है। मुख्य रुप से इन जिलों में कल्लर अथवा रेह की समस्या अधिक रहती है इसी कारण यहाँ की भूमि बंजर तथा कृषि रहित होती जा रही है। सरकार द्वारा अनेक प्रयास जारी किये जा रहे है ताकी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके।

3. अन्य कृषि रहित भूमि जिसमें परती भूमि सम्मिलित है :–

यह वह भूमि है जिसमें कृषि नहीं की जाती परन्तु इसमें परती भूमि को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार की भूमि में निरन्तर कमी आ रही है इसको तीन भागों में बाँटा जाता है –

(क). स्थाई चरागाहों तथा अन्य चराई भूमि।

(ख). फुटकर वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधिन भूमि जो बोय गऐ निबल क्षेत्र में शामिल नहीं।

(ग). कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि।

(क). स्थाई चरागाहों तथा अन्य चराई भूमि :–

यह भूमि स्थाई रुप से पशुओं को चराने के लिए प्रयोग की जाती है हरियाणा में स्थाई चरागाहों के लिए भूमि बहुत ही कम क्षेत्र में पाई जाती है हरियाणा में चरागाह का विस्तार निरन्तर कम हो रहा है। निम्न श्रेणी तालिका से स्पष्ट है।

श्रेणी तालिका – 5
स्थाई चरागाहों तथा अन्य चराई भूमि

श्रेणी	वन क्षेत्र (प्रतिशत में)	जिला
कम	1 से कम	पलवल, गुरुग्राम, मेवात, रेवाडी,
मध्यम	1 से 2	अम्बाला, यमुनानगर, सोनीपत
अधिक	2 से अधिक	करनाल, पानीपत

स्त्रोत :– स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आधार पर स्वयं द्वारा परिकल्पित।

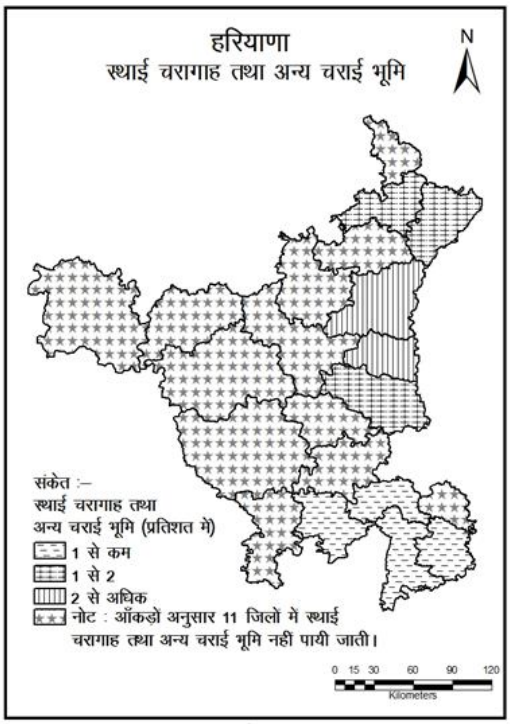

सबसे कम स्थाई चारागाह एवं अन्य चराई भूमि पलवल, गुरुग्राम, मेवात व रेवाड़ी जिलो में देखने को मिलती है जो क्रमशः 0.73, 0.83, 0.68, 0.66 प्रतिशत पाई जाती है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात आदि जिलों के आस–पास चारों ओर फैले हुये पहाड़ी क्षेत्रों पर चारागाह किया जाता है वहीं अम्बाला एवं यमुनानगर में 1 से 2 प्रतिशत (मध्यम) स्थायी चारागाह व अन्य चराई भूमि उपलब्ध है सबसे अधिक करनाल व पानीपत जिले में क्रमशः 3.68 व 3.85 प्रतिशत स्थायी चारागाह भूमि उपलब्ध है जबकि हरियाणा के अन्य जिलों जैसे – पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़, जींद, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा आदि जिलों में कोई स्थायी चारागाह भूमि एवं अन्य चराई भूमि उपलब्ध नहीं है।

(ख). फुटकर वृक्षों, फसलों, उपवनों के अधीन भूमि जो बोए गऐ निबल क्षेत्र में शामिल नहीं है :–

इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की गई है जिस पर बाग व अनेक प्रकार के पेड़–पौधे पाये जाते है तथा जिससे फल आदि प्राप्त होते हैं। हरियाणा में इस प्रकार की भूमि का कोई विशेष महत्व नहीं हैं। हरियाणा मे इस प्रकार की भूमि का कुल औसत 0.9 प्रतिशत पाया जाता हैं। करनाल, हिसार व सोनीपत जिलो में इस भूमि का क्रमशः 0.81, 0.36, व 0.47 प्रतिशत ही पाया जाता है जो नाममात्र ही है।

(ग). कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि :–

यह वह भूमि है जो किसी काम के लिए प्रयोग में नहीं ली जाती। आधुनिक तकनीकी ज्ञान की सहायता से उत्तम बीजों, खाद व सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करके कृषि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इस प्रकार की भूमि का बडा महत्व है इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जो पहले कृषि के अधिन थी परन्तु कुछ कारणों से अब वह बंजर हो गई है, कुछ भूमि में कांस, हरिया दूब, घास, छोटी कंटिली घास, बथुआ घास, कांग्रेस घास आदि उगने लगी है जिससे वहाँ कृषि करना कठीन हो गया है। कुछ भूमि रेह अथवा कल्लर भी हो गई है जिससे इस प्रकार की भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो गई हैं। हरियाणा में इस प्रकार की भूमि का बहुत अधिक विस्तार नहीं मिलता फिर भी पिछले कुछ वर्षों में इस भूमि को सुधारने के प्रयास किऐ गऐ हैं इन प्रयासो के चलते ही बंजर भूमि के विस्तार में काफी कमी आई है। हरियाणा में कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि के प्रतिशत विस्तार को निम्न श्रेणी तालिका में समझा जा सकता है।

श्रेणी तालिका – 6
कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि

श्रेणी	कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि (प्रतिशत में)	सम्मिलित जिले
कम	1 से कम	करनाल, पानीपत व सोनीपत
मध्यम	1 से 2	रेवाड़ी
अधिक	2 से अधिक	पंचकुला, रोहतक, झज्जर

स्त्रोत :– स्टेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आधार पर स्वयं द्वारा परिकल्पित।
नोट :– हरियाणा में 14 जिलो में उपरोक्त प्रकार की भूमि नहीं पायी जाती।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि करनाल, पानीपत व सोनीपत जिलो में 1 प्रतिशत से भी कम कृषि योग्य परन्तु बंजर भूमि का विस्तार है जहाँ उनका प्रतिशत क्रमशः 0.40, 0.77, 0.46 है, वहीं रेवाड़ी में इस प्रकार की भूमि का 151 हजार हैक्टीयर क्षेत्र पर 1.99 प्रतिशत पाया जाता है। हरियाणा में उपरोक्त प्रकार की भूमि का सबसे अधिक भाग पंचकुला, रोहतक व झज्जर जिलों में पाया जाता है जो क्रमशः 12.28, 2.39 तथा 4.71 प्रतिशत है। हरियाणा के चौदह जिलों में उपरोक्त प्रकार की भूमि नहीं पायी जाती है।

4. परती भूमि :–

यह वह भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती थी परन्तु अब इस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है। इस भूमि पर यदि निरन्तर कृषि की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ऐसी भूमि पर कृषि

करना आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहता इसलिए इस परती भूमि की अवधि 2 से 5 वर्ष की होती है। अतः कुछ समय के लिए इस प्रकार की भूमि को खाली छोड दिया जाता है ताकी इससे भूमि में फिर उपजाऊ शक्ति आ जाती है और यह कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। परती भूमि को दो प्रकार से बांटा जा सकता है।

(क). वर्तमान परती भूमि :–

यह वह भूमि है जिसमें पहले कृषि की जाती थी परन्तु उपजाऊ शक्ति कम होने की वजह से वर्तमान समय में इसे खाली छोड दिया गया है। हरियाणा में कुल 103 हजार हेक्टीयर वर्तमान परती भूमि है हरियाणा में निम्न श्रेणी तालिका से वर्तमान परती भूमि की स्थिति को समझा जा सकता है।

श्रेणी तालिका – 7
वर्तमान परती भूमि

श्रेणी	वर्तमान परती भूमि (प्रतिशत में)	जिला
कम	2 से कम	फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जींद, सिरसा
मध्यम	2 से 4	करनाल, रोहतक, भिवानी
अधिक	4 से 6	पनीपत, झज्जर, मेवात, हिसार
अत्याधिक	6 से अधिक	पंचकुला, पलवल

स्त्रोत :– स्ट्रेटिस्टीकल एब्सट्रेक्ट के आधार पर स्वयं द्वारा परिकल्पित।

उपरोक्त तालिका के अनुसार हरियाणा में सबसे कम फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जींद, सिरसा जिलों में क्रमशः 1.39, 0.66, 1.03, 1.43, 1.40 प्रतिशत वर्तमान परती भूमि पाई जाती है वहीं करनाल, रोहतक, भिवानी जिलों में 2 से 4 प्रतिशत (मध्यम श्रेणी) की वर्तमान परती भूमि उपलब्ध है। पानीपत, झज्जर, मेवात व हिसार में क्रमशः 5.38, 4.71, 4.73, 5.45 प्रतिशत वर्तमान परती भूमि उपलब्ध है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है हरियाणा में सबसे अधिक वर्तमान परती भूमि पंचकुला व पलवल में पाई जाती है जिनका प्रतिशत क्रमशः 8.77 व 6.61 है।

(ख). वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि अर्थात पुरानी भूमि :–

यह वह भूमि है जो पिछले कई सालों से परती पड़ी है जमीदारों की स्वार्थपूर्ण नीति, कृषको की निर्धनता, भूमि की उर्वरता का ह्रास, जल का अभाव, नदियों का मार्ग परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन आदि अनेक कारणों से यह भूमि एक लम्बी अवधि से परती चली आ रही है। उत्तम प्रकार के बीज, पर्याप्त सिंचाई, अच्छी खाद आदि की उचित व्यवस्थाऐं करके परती भूमि के विस्तार को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परती भूमि के होने के मूल कारणों का पता लगाना भी अति आवश्यक है। शस्यावर्तन तथा सहचर्य से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढाई जा सकती है। पुरानी भूमि अथवा वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि का प्रतिशत 0.41 है। हरियाणा में पंचकुला, झज्जर व सोनीपत जिलों में पुरानी भूमि का प्रतिशत क्रमशः 8.77, 6. 28 व 0.40 है इसके अतिरिक्त कहीं पर भी किसी भी जिले में कोई पुरानी भूमि नहीं पाई जाती है। हरियाणा में इस समय इस प्रकार की भूमि नगण्य है।

5. कृषित भूमि :–

यह वह भूमि है जिसमें वास्तविक कृषि की जाती है इसे कुल बोया गया क्षेत्र भी कहते है। इस प्रकार की भूमि को दो वर्गो में बाँटा जा सकता है।

(क). बोया गया निंबल क्षेत्र।

(ख). एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र

(क). बोया गया निबल क्षेत्र :–

यह क्षेत्र कृषि के आधीन होता है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। निम्न तालिका में बोया गया निबल क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार की है –

श्रेणी तालिका 8
बोया गया निबल क्षेत्र (2012–13)

श्रेणी	बोया गया निबल क्षेत्र (प्रतिशत में)	सम्मिलित जिले
कम	50 से कम	पंचकुला, फरीदाबाद
मध्यम	50 से 80	अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, महेन्द्रगढ़, सोनीपत
अधिक	80 से अधिक	कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा

स्त्रोत :– स्टेटिस्टीकल एबस्ट्रेक्ट के आँकड़ों के आधार पर स्वयं द्वारा परिकलित।

सन् 1966–67 में शुरु हुई हरित–क्रान्ति के बाद हरियाणा के इस वर्ग की भूमि में अत्यधिक वृद्धि हुई उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हरियाणा में सबसे कम बोया गया निबल क्षेत्र पंचकुला तथा फरीदाबाद जिलों में पाया जाता है जो 50 प्रतिशत से भी कम है यहाँ क्रमशः 40.35 व 43.05 प्रतिशत निबल क्षेत्र पाया जाता है। फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है जबकि पंचकुला एक प्रशासनिक नगर है इसलिए यहाँ पर बाये गऐ निबल क्षेत्र हरियाणा के अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ही कम है। अम्बाला, गुरुग्राम, मेवात, महेन्द्रगढ़, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, झज्जर, पलवल व सोनीपत जिलों में 50 से 80 प्रतिशत मध्यम श्रेणी में बोया गया निबल क्षेत्र पाया जाता है जो क्रमशः 89.88, 86.84, 80.83, 82.78, 85.84, 85.97, 82.43, 89.16, 92.97 प्रतिशत है। कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, जींद, हिसार, फतेहबाद व सिरसा जिलो में सबसे अधिक 180 से अधिक बोया गया निबल क्षेत्र पाया जाता है।

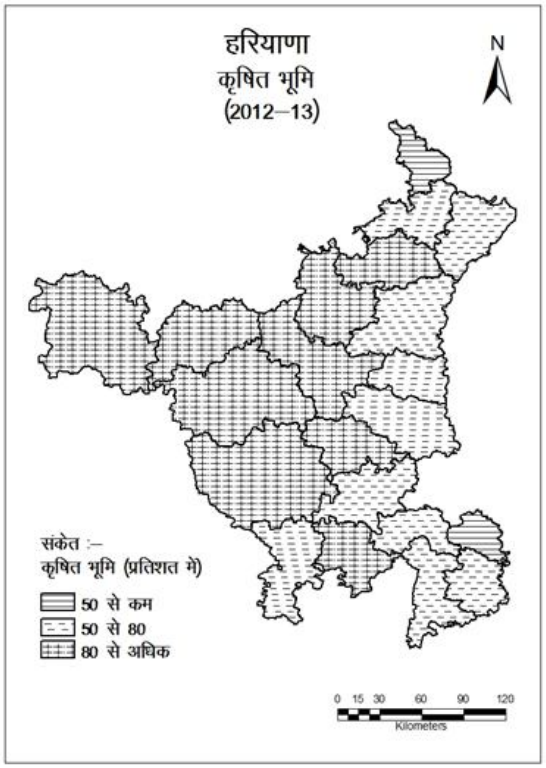

उपरोक्त जिलों में इस प्रकार की वृद्धि होने के प्रमुख कारण निम्न है।

1. रेह तथा उसर भूमि को कृषि योग्य बनाना।
2. बेकार पड़ी भूमि में खाद बीज डालकर कृषि योग्य बनाना।
3. कृषि भूमि को परती भूमि के रुप में न छोड़ना।
4. चारागाह तथा बागानों के लिए उपयोग की गई भूमि को कृषि के लिए प्रयोग करना।
5. कृषि के लिए उचित आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग करना।
6. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सही समय पर उचित लाभ उठाना।

ये उपरोक्त कारण ही हरियाणा के उपरोक्त जिलों में कृषि विस्तार एवं महत्व के अनुमान को बताते है।

(ख). एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र :–

इस प्रकार के क्षेत्र को दुपज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जहाँ एक वर्ष में एक से अधिक बार फसलें प्राप्त की जाती है यदि भूमि को उपजाऊ बनाकर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें प्राप्त करने के सार्थक तरीके अपनाऐं जाऐ तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ ही ग्रामीण इलाकों में बेराजगारी की समस्या काफी हद तक कम हो जाऐगी इसके लिए पर्याप्त सिंचाई, उचित खाद, उत्तम बीज, शीघ्र पकने वाली फसलों के प्रयोग की आवश्यकता है जिससे कृषि विकास के स्तर को तो बढ़ाया ही जा सकता है साथ ही राज्य कृषि के क्षेत्र में और उन्नत एवं विकासशील हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भटनागर बी. एन. एवं मित्तल एस. के. (1984) भारतीय कृषि की समस्याऐं चित्रा प्रकाशन, मेरठ।
2. खुल्लर डी. आर. (2002) भारत का भूगोल, सरस्वती हाऊस (प्रा. लि.) दिल्ली।
3. जोशी य. गो. (1972) नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी मध्यप्रदेश।
4. स्टेटिस्टीकल एबस्ट्रेक्ट (2000) हरियाणा, चण्दीगढ़।

Mrs. Anjana
Assistant Professor, GCW, Sec. 18, Rewari(Haryana) .